न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 07/22 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2022/35

उनवान

1. केसराम
2. शिवचरन
3. सियाराम
4. शीशराम

} पुत्रगण गंगासहाय जाति मीना निवासी उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर

.....अपीलांट।

बनाम

1. गौरन्ती देवी पत्नी स्व0 हरजीराम
2. प्रकाश पुत्र स्व0 हरजीराम
3. बबलेश पुत्र स्व0 हरजीराम
4. बीना पत्नी राजेश पुत्री स्व0 हरजीराम
5. सन्तोष पुत्र स्व0 हरजीराम
6. गोपाल पुत्र स्व0 हरजीराम

} जाति मीना निवासी उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोंडेंट।

7. मल्ली पत्नी स्व0 राम सिंह
8. बरफी पत्नी स्व0 राम सिंह

} जाति मीना निवासी उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

9. विष्णु आयु 15 साल पुत्र राम सिंह नाबालिग जरिये माता मल्ली पत्नी स्व0 राम सिंह जाति मीना निवासी उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
10. हंती आयु 17 साल पुत्र राम सिंह नाबालिग जरिये माता मल्ली पत्नी स्व0 राम सिंह जाति मीना निवासी उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
11. दीपक
12. ऋषि
13. अरूण

} पुत्रान स्व धर्म सिंह निवासी उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

14. ललिता पत्नी स्व0 धर्म सिंह
15. भरतलाल पुत्र श्योपाल
16. झवलू पुत्र किशनलाल
17. काडू पुत्र किशनलाल
18. गुलाब पुत्र प्रभू
19. सुरेश पुत्र प्रभू
20. लक्ष्मी पत्नी स्व0 मोतीलाल

} जाति मीना निवासी उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

21. जीतेश पुत्र स्व0 मोतीलाल } जाति मीना निवासी उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
22. रेखा पुत्री स्व0 मोतीलाल }
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर दि0 12.03.2019 प्रकरण संख्या 77/18 व 113/18 उनवानी गौरन्ती बनाम शिवचरन।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री पुरूषोत्तम मुदगल उपस्थित।
2. वकील रेस्पोंडेंट श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

दिनांक–18.12.2023

निर्णय

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलाण्ट एवं प्रतिवादीगण/रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में दो वाद एक दूसरे के विपरीत अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण सहखातेदार के रूप में दर्ज है एवं सम्मिलित रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु वर्तमान में सम्मिलित काश्त करने में आये दिन फसल को लेकर झगडा हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विभाजन कानूनन करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जाकर, समेकित करते हुये, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2019 से प्राथमिक डिक्री कर दिये। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ हैं व काबिल निरस्तनीय हैं। आराजी खसरा नम्बर 1299/625, 623, 605/711, 637 में रैस्पो0 द्वारा मौके पर अपीलाण्ट को कम रकवा दे रखा है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त खसरा नम्बरान की पैमाईश करायी जाकर, विवादित आराजी का बॅटवारा किया जावें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुये, बिना अपीलाण्ट की सहमति लिये, प्राथमिक डिक्री पारित कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान रैस्पो0 अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त दोनों पक्षो की सहमति उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट को विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति करने का पूर्ण अवसर है। रैस्पो0 ने विवादित आराजी का कोई हिस्सा नहीं दवा रखा है। रैस्पो0 राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सेनुसार ही काबिज काश्त है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट की हस्तगत अपील में प्रमुखता से यह आपत्ति रही है कि आराजी खसरा नम्बर 1299/625, 623, 605/711, 637 में रैस्पो0 व अन्य सहखातेदारो ने रकवा दवा रखा है। जिससे अपीलाण्ट को उक्त खसरा नम्बरान में अन्य सहखातेदारो की अपेक्षा कम रकवा पर कब्जा काश्त है। यदि बिना पैमाईश उक्त खसरा नम्बरान अपीलाण्ट के कुर्रे में आये तो, रैस्पो0 व अन्य सहखातेदारो ने जो रकवा दवा रखा है, को खाली नहीं करेंगें। अतः उक्त खसरा नम्बरो की पैमाईश उपरान्त ही विभाजन किया जावें। हमने गौर किया। अपीलाण्ट ने उक्त खसरा नम्बरो की पैमाईश बाबत् प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। हम पाते हैं कि उक्त खसरा नम्बरो बाबत् पक्षकारान का रकवे पर कब्जे की कमी वेशी का विवाद है। उक्त विवाद पैमाईश से ही हल हो सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि यदि उक्त खसरा नम्बर अपीलाण्ट को अन्य सहखातेदारो के साथ कुर्रे में प्राप्त होते हैं, तो उक्त खसरा नम्बरो की पैमाईश कराते हुये, पक्षकारान को विवादित आराजी पर राजस्व अभिलेख में दर्ज उनके हिस्सेनुसार कब्जा दिलाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय यथावत रहेगा।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण उपरोक्त तथ्यो की पृष्ठ भूमि में प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद लिखा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर